



दि. 31.7.24 को पेश होवे।


SDO

31.07.2024

note
पुस्तक
दिखाते
में
गदी

पत्रावली पेश हुई। अधिकार उभयपक्षकारान
उपरिष्पत। वकील वादी ने बताया कि वादी
ने वादग्रस्त भूमि को बेचान कर दिया है।
वकील वादी प्रकरण में ग्राहो कार्यवाही
नहीं जाते है। वकील वादी ने नॉट-प्रेस
करने का निवेदन किया। वकील वादी
द्वारा नॉट-प्रेस करने के आधार पर
वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल
दक्तर होवे।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा